

गायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

क्र. नं. 81 / 16 तारीख 25-7-16

उपनाम - धनपुल बनाम रतीराम को.

दावा बाबत बस्त कर सहक, तकारमा स्थायी निषेधाज्ञा
वादी की ओर से सुरेश चन्द्र शर्मा Adv. ने दावा बाबत बस्त कर
सहक, तकारमा, स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रस्तुत शपथ
पत्र व शपथपत्र जमा बन्दी का अपलोड कर दिया गया।
आपका रिजिस्टर कर प्रतिवादीजनों को जरिये सम्मन
से तलब कर दिनांक 16-8-16 को पेश हो।

2088-2124
2.8.16


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

16.8.16

वादी पक्षील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 3, 4 की ओर
से श्री मनोज कुमार शर्मा Adv. ने बकालता तथा
प्रतिवादी नं. 35, 36 की ओर से श्री राम गिरी गुप्ता Adv.
ने भी पेश किये। प्रतिवादी नं. 1, 2, 6 ता. 11, 24 ता. 34,
37 के सम्मन विधिवत तामील हो चुके हैं किन्तु
उपस्थित नहीं। हिनैस उनके खिलाफ एक पक्षीपत्र
वारी की जाती है। प्रतिवादी नं. 5 के सम्मन पर प्रतिवादी
के फौत हो जोन की रिपोर्ट हुई है। प्रतिवादी नं. 12 ता.
23 के सम्मन हदम तामील प्रह डर है। कोले पेश करे
क्र. नं. 022R4, जक्र, तलवी दि. 14-8-16 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टी

दिनांक	कार्य अथवा काम
29-1-19	<p>बल्लुगाम (गाँव) बादी नकील म पुनः नियोजित किया। एक तारीख पेशी के लिए दल कायम हुआ। पेशी के लिए एक नई नौका/ यदि फिर भी दल पेशी नहीं कर पाता है तो बाधा स्थापित कर मासिक नौकापु रक इतिहास गौरव दल कायम हुआ। पेशी के दिया जाता है दल पेशी नहीं होने की स्थिति में बाधा स्थापित कर दिया जाएगा। दि. 29-1-19 को पेशी है।</p>
29-1-19	<p>पत्रावली पेशी हुई। बादी नकील उपस्थित नहीं कई बार आवाज दिलवाई गई। पेशी की कार्य नकील एवं बादी उपस्थित नहीं है। अतः बाधा आदम स्थापित एवं आवक स्थिति में स्थापित किया जाता है। पत्रावली के लिए शुगर रोज नकल का काम रोज दायित्व दफतर है।</p>